(85)

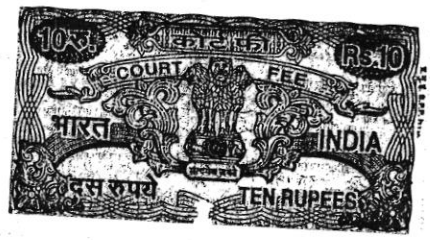

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/6185 **निगरानी प्रकरण क्रमांक : ....**

रामसिंह आत्मज हल्केराम, वयस्क
निवासी – ग्राम बगरौदा, तहसील सिरोंज,
ज़िला विदिशा

.... **प्रार्थी**

विरूद्ध

01. **अमर सिंह** आत्मज धनसिंह, वयस्क
02. **अजुद्धी बाई** पत्नी स्व. धनसिंह, वयस्क
दोनों निवासी – ग्राम बगरौदा,
तहसील सिरोंज, ज़िला विदिशा

.... **प्रतिप्रार्थी**

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2017, जो प्रकरण क्र. 37/अ–27/2016–17 में न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मण्डल 04, तहसील सिरोंज, ज़िला विदिशा द्वारा पारित किया गया।</u>

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बगरौदा, तहसील सिरोंज, ज़िला विदिशा स्थित भूमि खसरा क्र. 97, 127, 168, 169, 174, 184, कुल कि़ता 06, कुल रकबा 9.848 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी का शामिली खाता दर्ज़ है।

02. यह कि, उक्त भूमि के बंटवारे हेतु पूर्व में प्रकरण विचाराधीन हुआ था, जो तहसीलदार महोदय, मण्डल 04 के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 41/अ–27/2003–04 पर दर्ज़ किया जाकर आदेश दिनांक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– एक / निग0 / विदिशा / भू.रा. / 2017 / 6185

जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२२/१२/17	प्रकरण का अवलोकन कियाएवं आवेदक अधिवक्ता के द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत करते हुए यह मांग की गई कि पूर्व में विवादित भूमि के संबंध में बटवारा प्रकरण चला था जो निरस्त कर दिया था अतः पुनः उसी न्यायालय द्वारा प्रकरण का निराकरण नहीं किया जा सकता । आवेदक के आवेदन को तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा अध्ययन करने के उपरांत निरस्त किया गया है । प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की जा रही कार्यवाही में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	